झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 03.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत् बिहार राज्य के तर्ज पर झारखण्ड में भी हर संवैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थान, निगम, बोर्ड का गठन करने का प्रावधान है। विदित् है कि इक्कीस वर्ष बीतने के बाद भी झारखण्ड राज्य में मदरसा बोर्ड वक्फ बोर्ड तथा उर्दू अकादमी का गठन नहीं किया गया है। फलस्वरूप अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी समस्याओं का निराकरण समुचित ढंग से नहीं हो रहा है। साथ ही मदरसा तथा वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण भी हो रहा है। अल्पसंख्यक समाज को राज्य सरकार से काफी उम्मीदें हैं। अतः राज्य में मदरसा बोर्ड वक्फ बोर्ड तथा उर्दू अकादमी का शीघ्र गठन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
02-	श्री भूषण बड़ा स0वि0स0 श्री बंधु तिर्की स0वि0स0 श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0	विदित हो कि सिमडेगा जिला में गृह रक्षा वाहिनिया की नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं0-01/2016 के तहत् गृह विभाग द्वारा 447 अभ्यर्थियों में से, 362 महिला/पुरूष अभ्यर्थियों का वर्ष 2018 में चयन के किये जाने के पश्चात् उक्त 362 सफल अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने का आदेश-	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		विभाग ने अब तक पारित नहीं किया है जो अत्यंत ही खेद का विषय है। फलस्वरूप उक्त 362 नव चयनित अभ्यर्थी वर्ष 2018 से बुनियादी प्रशिक्षण की आस में बेरोजगारी का दंश झेलने को विवश है। ज्ञात हो कि चतरा, पाकुड़, रामगढ़, लातेहार, सरायकेला, राँची जिला के अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने हेतु गृह विभाग के पारित आदेशानुसार वर्णित छः जिला में से लातेहार तथा रामगढ़ जिला के अभ्यर्थी बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पुनः ज्ञात हो कि उपायुक्त सिमडेगा के पत्रांक- 269 दिनांक- 08.02.2020 संयुक्त सचिव, गृह विभाग, पुनः उपायुक्त सिमडेगा के पत्रांक- 1221 (II)/गो0 महानिदेशक सह- महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, झारखण्ड, राँची दिनांक- 25.09.2021 को सम्पूर्ण त्रुटियों को दुरूस्त करते हुए वर्णित 362 अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने का आग्रह करने के बाद भी फलाफल अब तक शून्य है **जबकि उक्त 362 अभ्यर्थियों में से 290 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के हैं**, शेष अनुसूचित जाति/**OBC** के है, सिमडेगा उग्रवाद प्रभावित अत्यंत पिछड़ा एवं गरीब जिला है, बावजूद इसके 362 गृह रक्षा वाहिनियों को अब तक बुनियादी प्रशिक्षण नहीं दिलाना विचारणीय विषय है। साथ ही विभागीय कार्यशैली भी Right to Work के विरूद्ध है। अतएव सिमडेगा जिला के नवचयनित 362 गरीब बेरोजगार गृह, रक्षा वाहिनियों को वर्णित 6 जिला के तर्ज पर चलते सत्र में बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने हेतु गृह विभाग से आदेश पारित करवाकर इन्हें भी बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने हेतु सदन के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	

01.	02.	03.	04.
03-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0 श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0	झारखण्ड सरकार ने दिनांक- 24.02.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में निर्णय लिया है कि झारखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराया जाएगा, किन्तु यह भी निर्णय लिया है कि यह चुनाव पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना कराये जाएगे। सरकार का यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के प्रतिकूल है जिसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पिछड़े वर्गो का आरक्षण उसकी जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। झारखण्ड में पिछड़े वर्गो की आबादी 56 प्रतिशत है, किन्तु उसे मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण देय है जबकि राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद् का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय की भावना एवं आदेश के प्रतिकूल है। अतः मैं सरकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत् राज्य में पिछड़े वर्गो को समुचित प्रावधान के तहत् शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	पंचायती राज
04-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	झारखण्ड में ई- निबंधन पोर्टल की शुरूआत की गई थी, जिसके तहत् कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाईन प्राप्त कर सकता था और अपनी संपत्ति का सेल-डीड ऑनलाईन निर्धारित शुल्क देकर सेल-डीड की सर्टिफाईड कॉपी तत्काल प्राप्त कर सकता था। विगत जून 2021 से उक्त व्यवस्था को बंद कर दिया गया है और Public Access को रोक दिया गया है, जिससे एक साथ कई परेशानियाँ उत्पन्न हो गई और कायम पारदर्शिता की व्यवस्था समाप्त हो गई है तथा बैंक से संपत्ति के विरूद्ध लोन लेने वाले लागों को काफी	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		परेशानी हो रही है, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले संपत्ति आभार प्रमाण-पत्र की मांग करता है, जो उक्त व्यवस्था के लागू रहने के कारण ऑनलाईन तरीके से झटपट हो जाता था, लेकिन जून 2021 में उक्त व्यवस्था के बंद हो जाने के कारण राज्य के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यह झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 का भी उल्लंघन है और उक्त व्यवस्था से हर वर्ष करीब 3 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा था। वर्ष 2019 से 2021 के बीच निबंधित दस्तावेजों को एनजीडीआरएस के सर्च मोड्यूल से 10,30,406 बार ऑनलाईन सर्च किया गया है। उक्त व्यवस्था के बंद हो जाने के कारण राज्य में भू-माफिया सक्रिय हो गए हैं और जमीन दलालों के हौसले बुलंद हुए है, क्योंकि अब राज्य के नागरिक अपनी जमीन की खरीद-बिक्री (निबंधन) पर अपनी ऑनलाईन नजर नहीं रख सकते है, जबकि झारखण्ड ई-निबंधन के पोर्टल के सर्च- लिंक के कारण कोई भी नागरिक जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित निबंधित डीड को ऑनलाईन सर्च करके देख सकता था एवं वर्ष 1940 से लेकर वर्ष 2008 तक की झारखण्ड की सारी निबंधित डीड इस पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड थी, जिससे पारदर्शी रूप से कोई भी नागरिक इनको देख सकता था, इनका अध्ययन कर सकता था और निर्धारित शुल्क देकर इनकी सर्टिफाईड कॉपी प्राप्त कर सकता था, जिससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा था। अतएव सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि सरकार यथाशीघ्र उक्त झारखण्ड ई-निबंधन के पोर्टल के सर्च-लिंक को ओपन करवाएं और-	

01.	02.	03.	04.
		Public Access को सुनिश्चित करवाते हुए पारदर्शी शासन को कायम करे और भ्रष्ट अधिकारियों तथा भू-माफिया पर लगाम लगाने हेतु व्यापक जनहित में पुनः पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
05-	श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही, चौपारण एवं चन्दवारा प्रखण्डों की हजारों एकड़ रैयतों की जमीन वर्ष-1951-52 में D.V.C द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है और तिलैया जलाशय का निर्माण कराया गया। उक्त प्रखण्डों के लाखों परिवार विस्थापित परिवार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन्हें जिन जमीनों पर बसाया गया है, वह खतियान में जंगल झाड़ व गैर मजरूआ अंकित है जिसके दुष्परिणाम स्वरूप इन किसानों के नाम से जमीन का रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। आज 70 वर्षों के बीतने के बाद भी ये किसान तंगहाली की जिन्दगी जीने को मजबूर है। अब इनकी जमीनों को NHAI द्वारा रोड चौड़ीकरण करने हेतु अधिग्रहित किया जा रहा है। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है और आमजन आक्रोशित है। अतः उक्त सम्पूर्ण मामलों की जाँच की मांग एवं किसानों के नाम से रसीद निर्गत करने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 03 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-842/वि0 स0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/पंचायती राज विभाग एवं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/22

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-842/वि0 स0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

2/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

02/03/22